न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 20/2019 दिनांक–22.10.2019

हेमचन्द उम्र 71 वर्ष पुत्र श्री बालूराम जाति5 ब्राहमण निवासी ग्राम बडवासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

– वादी

बनाम

तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

–प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री सुरेश कुमार सीगड़
वकील प्रति. :– राज. पैरोकार

दावा : अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 29.11.2019

वादी द्वारा एक वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमीन खसरा नम्बर 487/0.70, 488/1.54 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.24 हैक्टर तथा जमीन खसरा नम्बर 491/2.14, 580/1.55 हैक्टर कुल किता2 कुल रकबा 3.69 हैक्टर वाके ग्राम बड़वासी की सरहद में स्थित है, जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, काबिज है, लगान अदा करता है उपयोग उपभोग करता है। बालूराम के फौत होन पर वारिसान का विरासत के आधार पर नामान्तकरण दर्ज हुआ है, जिसके तहत बालूराम के वारिस हेमचन्द का नाम राजस्व रिकझार्ड में सहवन से हेमाराम दर्ज हुआ है, लेकिन सहवन से वादी के घर पर पुकारे जाने वाले नाम से नामान्तरकरण में बालूराम के पुत्र हेमचन्द का नाम हेमाराम दर्ज हो गया है, जो कि गलत दर्ज हुआ है, जबकि वास्तविकता हय कि वादी कासही नाम हेमचन्द है। इस प्रकार वादी का नाम आधार कार्ड, वोटर आई.डी. पेंशन प्रमाण पत्र राशन कार्ड में भी हेमचन्द है, जिनकी प्रति इस दावे के साथ पेश कि जा रही है जिसको दुरूस्त किया जावे। विरासत में नामान्तरकरण के आधार पर वादी का नाम सही नाम हेमचन्द है, जबकि रिकार्ड में हेमाराम गलत दर्ज हुआ है, इस तरह गलत एन्ट्री को शुद्ध/दुरूस्त करवाने के लिय यह दावा बाबत दुरूस्ती 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश करना आवश्यक हुआ है। बिनाय मुखास्मत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में तब पैदा हुआ जब वादी ने दिनांक 15.10.2019 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त की, अलबता इस तरह के दावे में वादकारण हरवक्त हरपल पैदा होते रहते है।

Scanned by CamScanner

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि ग्राम बडवासी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 487/0.70, 488/1.54 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.24 हैक्टर तथा जमीन खसरा नम्बर 491/2.14, 580/1.55 हैक्टर कुल किता2 कुल रकबा 3.69 हैक्टर के रिकार्ड में वादी का नाम हेमाराम के स्थान पर हेमचन्द दर्ज किया जाकर रिकार्ड में दुरूस्ती करके इस तरह के घोषणा की जावे। अन्य सिद्धी जो चाहे जाने से रह गई हो और वादी के हक में पड़ती हो दिलाई जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी राज पैरोकार तहसीलदार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर सहमति प्रदान की है कि ग्राम बडवासी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 487/0.70, 488/1.54 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.24 हैक्टर तथा जमीन खसरा नम्बर 491/2.14, 580/1.55 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.69 हैक्टर के रिकार्ड में वादी का नाम हेमराम पिता बालूराम जाति ब्राहमण दर्ज रिकार्ड है। जांच करने पर वादी का सही नाम हेमचन्द पुत्र बालूराम जाति ब्राहमण निवासी बताया गया है तथा प्रार्थी के दस्तावेजों राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र में भी वादी का सही नाम हेमचन्द ही अंकित है। अतः पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं राजपैराकार के जवाब के आधार पर वादी का वाद न्यायोचित होने से वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। ग्राम बडवासी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 487/0.70, 488/1.54 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.24 हैक्टर तथा जमीन खसरा नम्बर 491/2.14, 580/1.55 हैक्टर कुल किता2 कुल रकबा 3.69 हैक्टर में वादी का नाम हेमाराम पुत्र बालूराम के स्थान पर हेमचन्द पुत्र बालूराम दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/11/19

उपखण्ड अधिकारी

(मु[illegible] शर्मा)

नवलगढ़

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास तोगडाकला
मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा : अन्तर्गत धारा 136 राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956

मुकदमा सं0:– 20/2019 (हेमचन्द पुत्र बालूराम बनाम तहसीलदार नवलगढ़)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर.ए.एस.),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक **29.11.2019** निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। रग्राम बडवासी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 487/0.70, 488/1.54 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.24 हैक्टर तथा जमीन खसरा नम्बर 491/2.14, 580/1.55 हैक्टर कुल किता2 कुल रकबा 3.69 हैक्टर में वादी का नाम हेमाराम पुत्र बालूराम के स्थान पर हेमचन्द पुत्र बालूराम दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

जिन...........–............ मुबलिग...........–............बाबत......–..........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह. ....–.......फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **29** माह **11** सन **2019** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	2.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	05.00		0.00

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2019.12.01 17:18:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: